राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 1972/2012/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक,
चौमू जिला जयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह
   डी–471, विद्याधर नगर, जयपुर।
2. श्री छज्जूलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
3. श्री महावीर प्रसाद पुत्र छीगनलाल
4. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद
   निवासी तनवासी, ग्राम–अनंतपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री खेमराज – अध्यक्ष

उपस्थितः
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से

बावजूद सूचना अनुपस्थित .....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/11/2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी(राजस्व) की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **कलक्टर (मुद्रांक)** कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 962/2011 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण श्री छाजूलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री छीगनलाल एवं श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद द्वारा ग्राम अनन्तपुरा पटवार हल्का अनन्तपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1648 रकबा 0.28 हैक्टेयर का विक्रय पत्र के दस्तावेजात अप्रार्थी संख्या 1 श्री बृजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी विद्याधरनगर, जयपुर के पक्ष में निष्पादित किये जाकर वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, तृतीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये। जिसे बाद पंजीयन उप पंजीयक ने पंजीयन क्रमांक 2009053001463 पंजीयन दिनाक 06.07.2009 को पंजीबद्ध कर पुनः लौटा दिये। तत्पश्चात् महालेखाकार राजस्थान जयपुर के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि जनवरी, 2009 से मार्च, 2010 में प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विक्रीत भूमि को ग्राम की मुख्य रोड़ से लगती हुई व आबादी से 200 मीटर दूरी पर स्थित होना मानते हुये कृषि भूमि की तीन गुणा दर से मूल्यांकन नहीं किये जाने के कारण कमी मुद्रांक कर पर पंजीयन होना मानते हुये आक्षेपित किया है, जिस पर उप पंजीयक जयपुर तृतीय ने उक्त मालियत के अनुसार

निरन्तर 2

कमी मुद्रांक कर की वसूली हेतु, प्रकरण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) द्वितीय, जयपुर को प्रेषित किया। कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रकरण दर्ज कर, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात जवाब एवं रेकार्ड का अवलोकन कर, कलक्टर (मुद्रांक) ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2012 द्वारा उप पंजीयक तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अस्वीकार कर दिया। कलक्टर (मुद्रांक) के उक्त निर्णय के विरूद्ध, प्रार्थी राजस्व द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

अप्रार्थीगण वाबजूद सूचना के बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। अतः विद्वान उप राजकीय अभिभाषक कीं एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उप पंजीयक तृतीय जयपुर ने महालेखाकार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत सम्पति का निरीक्षण कर, डी.एल.सी. द्वारा मालियत आंकते हुए उसी अनुसार रेफरेंस पेश किया, परन्तु कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेंस को अस्वीकार कर, विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को निरस्त कर, उप पंजीयक जयपुर चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत रेफरेंसानुसार मालियत स्वीकार की जावे।

मैंने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन पर पाया गया कि उप पंजीयक चौमू ने अपनी मौका रिपार्ट में अंकित किया है कि "मौके पर संबंधित खसरा संख्या अनन्तपुरा–भूरथल वाले रोड़ पर स्थित है जो डामर से बना हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में इसकी चौडाई लगभग 20 मीटर है जो मौके पर खाली है। निरीक्षण के समय मौके पर बाजरे की फसल थी जो काटी जा चुकी थी"। चूंकि प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल भी 1000 वर्गगज से अधिक है। अतः उप पंजीयक चौमू की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाना प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में भी प्रश्नगत भूमि पर बाजरें की फसल लिया जाना प्रदर्शित है। अतः प्रश्नगत भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की दर से निर्धारित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

परिणामतः राजस्व की निगरानी बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है। कलेक्टर मुद्रांक के आदेश दिनांक 26.04.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष